राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 65/2021 अपील

1. मोहन पुत्र शंकर दरोगा निवासी मालोला तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. काशु पुत्र शंकर दरोगा निवासी मालोला तहसील एवं जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. तेजु पुत्र शंकर दरोगा निवासी मालोला तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा
3. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा पांसल तहसील एवं जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील विरूद्व आदेश न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) भीलवाड़ा बमामले रजामंदी बटवाड़ा प्रकरण संख्या 136/2015 राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय 04/07/2015

उपस्थित –

1. श्री बाबूलाल आचार्य अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री हरदयाल वर्मा अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 29.08.2022

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) भीलवाड़ा बमामले रजामंदी बटवाड़ा प्रकरण संख्या 136/2015 राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय 04/07/2015 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मालोला पटवार हल्का मालोला तहसील एवं जिला भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 825/1, 828, 829/1, 838/1, 839, कुल किता 05 कुल रकबा 04.13 बीघा जो कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 01 के नाम पर दर्ज थी। जिसमे अपीलार्थी संख्या 01 का 1/3 हक हिस्सा व अपीलार्थी संख्या 02 दो का 1/3 हक हिस्सा व प्रत्यर्थी संख्या 01 का 1/3 हक हिस्सा है। तीनों इसी अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। हाल ही मे दिनांक 14/04/2018 को प्रत्यर्थी संख्या 01 एक द्वारा अपीलार्थीगण के हक हिस्से की भूमि में व्यवधान पैदा किया। इस पर अपीलार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड की नकलें प्राप्त हेतु दिनांक 16/04/2018 को आवेदन किया व नकले दिनांक 25/05/2018 को प्राप्त हुई तब अपीलार्थीगण को जानकारी मे आया कि अपील की चरण संख्या 01 एक में वर्णित

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

आराजियात रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा जो कि एक ही चक के रूप में है तथा तीनो भाईयो के 01 बीघा 11 बिस्वा भूमि आती है व मोके पर काबिज है, लेकिन आपसी सहमति के समय अपीलार्थीगण के अनपढ़ होकर केवल साक्षर होने का नाजायज फायदा उठा राजस्व कर्मचारीयों से मिलीभगती कर प्रत्येक को 01 बीघा 11 बिस्वा के बजाय अपीलार्थीगण के 01 बीघा 07 बिस्वा, 01 बीघा 07 बिस्वा दर्ज की व प्रत्यर्थी संख्या 01 एक के 01 बीघा 11 बिस्वा के बजाय 01 बीघा 19 बिस्वा दर्ज करवा दावा डिक्री करवा लिया, जो कि धोखे से करवाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी प्रत्यर्थी संख्या 01 एक के हक हिस्से मे अधिक भूमि रखी गयी, जिसके बारे मे अवगत नही कराया गया व तीनो भाईयो के बराबर बटवाड़ा करवाने की बात कहकर आपसी सहमति का बटवाड़ा फैसल किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण को उक्त बटवाड़े की जानकारी नहीं थी व विश्वास में लेकर बिना मौके पर कब्जे बाबत जांच पड़ताल व जानकारी लिये, प्रत्यर्थी संख्या 01 ने प्रत्यर्थी संख्या 02 से मिलीभगती कर हक हिस्से से अधिक भूमि रखकर उक्त बटवाड़ा फैसल करवाया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। आपसी सहमति बाबत बने सर्कुलर अनुसार सभी खातेदारो के हक हिस्से अनुसार ही रकबा बराबर रखते हुए भूमि बंटवाड़ा किया जायेगा व मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा किया जायेगा, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उसकी पालना नहीं कर उक्त विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है, जो अपास्त होने योग्य है। निर्णय की दिनांक से उक्त अपील पेश करने मे हुई देरी के समय को कण्डौन फरमाया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। इस हेतु धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से पेश है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भीलवाडा द्वारा आपसी सहमति बटवाड़ा निर्णय दिनांकित 04/07/2015 को निरस्त करा, अपील की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात का समान हक हिस्से अनुसार मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स के आधार पर विभाजन करा, राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराया जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रस्तुत अपील न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगणों को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

क्योंकि विपक्षी संख्या 01 अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग कर रहा है, विपक्षी संख्या 01 के पास एक इंच भी ज्यादा जमीन नहीं हैं। भाई बंटवाड़े से जितना हिस्सा आया उस पर काबिज हो काश्त कर रहा है तथा अपीलांट अपने हिस्से पर काबिज हो काश्त कर रहे हैं। दूसरी आराजियात में अपीलांटान ने अपना हिस्सा विक्रय कर दिया, जिसकी ऐवज में इन आराजियात में से विपक्षी संख्या 01 के अधिक हिस्सा रखा जिससे अपीलांटान बदल नहीं सकते। बंटवाड़ा स्वयं अपीलांटान ने करवाया जिनको शुरू से ही जानकारी थी दिनांक 16.4.18 को जानकारी होने की बात कल्पना पर आधारित है। अधिनस्थ न्यायालय ने सभी को पूर्णरूपेण समझाकर बंटवाड़ा किया जिससे सभी सहमत थे अब सहमति बंटवाडे से बदल नहीं सकते। दिनांक 4.7.2015 को स्वयं अपीलांटान ने सहमति से बंटवाड़ा कराया जिस पर अपीलांटान के हस्ताक्षर है। अब जमीन के भाव बढ़ जाने से बेईमानीवश झूठी कहानी रचकर 16.4.2018 को जानकारी होने बाबत लिखी गयी है जो काल्पनिक है शुरू से ही अपीलांटान को निर्णय की जानकारी थी अब बैरून मियाद अपील पेश की गयी जो मियाद के बिन्दू पर ही खारिज होने योग्य है। निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे। विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2015(2) हरजीत राज बैरवा बनाम कानी देवी, आर.आर.टी 2018(1) शान्ति बनाम जगदीश आचार्य, आर.आर.टी 2020(1) मोबातराम बनाम निम्बाराम पेश किये।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपसी सहमति से बंटवारा प्रस्ताव आदेश दिनांक 04.07.2015 में अपीलाण्टगण मोहन व काशु के हस्ताक्षर हैं तथा विपक्षी संख्या 01 तेजू की अंगूठा निशानी हैं। जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता हैं कि वक्त बंटवाडा अपीलार्थीगण अनपढ़ नही था, बल्कि विपक्षी संख्या 01 अनपढ़ था। इस प्रकार अपीलार्थीगण ने अपील मेमों में प्रश्नगत सहमति बंटवारे की जानकारी नही होना व स्वयं का अनपढ़ होना अंकित किया हैं, जो सरासर गलत ठहरता हैं।

पत्रावली परीक्षण से स्पष्ट होता हैं कि प्रश्नगत आराजियात पुश्तैनी होकर सहमति से बंटवाडा किया गया हैं। पुश्तैनी जायदाद का सहमति से बंटवाडे में किसी भी प्रार्थी को कम या ज्यादा जायदाद का बंटवाडा आपसी सहमति से किया जा सकता हैं, क्योंकि बंटवाडा सहमति से किया जाता हैं।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण ने अपील मेमो मे यह अंकन किया कि उन्हे उक्त प्रश्नगत बंटवाडे के बारे में कोई जानकारी नही थी, जिससे यह अपील 03 वर्ष बाद प्रस्तुत की हैं। पत्रावली परीक्षण से जाहिर होता हैं कि प्रश्नगत सहमति बंटवाडे पर अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर हैं, जिससे स्पष्ट जाहिर होता हैं कि वक्त बंटवाडे से ही अपीलार्थीगण को प्रश्नगत बंटवाडे के बारे में पूर्ण जानकारी थी। अपीलार्थीगण ने मिथ्या कथन अंकित कर यह अपील पेश की हैं।

अपीलार्थीगण द्वारा मियाद के बिन्दु पर जानकारी नही होने के बारे में दफा 5 कानून मियाद प्रार्थना पत्र में कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया। फिर भी न्याय हित में मियाद के बिन्दु पर अपील के समय को कण्डोन किया गया हैं।

उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन, तथ्यहीन व आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) भीलवाड़ा बमामले रजामंदी बटवाड़ा प्रकरण संख्या 136/2015 राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 04/07/2015 से अपील सारहीन, तथ्यहीन व आधारहीन होने से अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा